भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

सं. रा.भा./9(17)/ 2012-हिंदी

20 जुलाई 2015

कार्यालय आदेश

विषय: राजभाषा नियम 1976 की धारा 8(4) के अंतर्गत हिंदी में काम करने संबंधी आदेश के संदर्भ में।

संस्थान में 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इस कारण संस्थान को राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में 22 नवम्बर 1988 को अधिसूचित किया जा चुका है।

राजभाषा नियम, 1976 की धारा 8(4) के अनुसार जिन कार्यालयों को अधिसूचित किया जा चुका है उनमें काम करने वाले हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण तथा संस्थान के कामकाज से संबंधित आंतरिक कार्य हिंदी में करने चाहिए।

अत: संस्थान में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि वे संस्थान के कामकाज से संबंधित सभी आंतरिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करें।

सुरजित मित्रा

(डॉ. सुरजित मित्रा)
निदेशक

प्रति: